संख्या-230/2015/2524जेएल/22-3-15-200(2)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2015***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी गजाधर सिंह पुत्र राम विचार सिंह को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-169/2015/1646जेएल/22-3-15-200(2)/2015, दिनांक 12-06-2015 के अनुक्रम में आदर्श कारागार, लखनऊ के बंदी गजाधर सिंह पुत्र राम विचार सिंह, निवासी जनपद-बलिया, बंदी संख्या-16055 को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश के क्रम में एतदद्वारा 15 दिन की वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-230/2015/2524जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।